

दिनांक  
26/8/18

राजस्थान सरकार

लघुआयलय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

सारकार

मकान

बनाम श्री

निरंजन कदमलाल डूंगर खेत कारीगा  
म. न. न. न.

किसम मुकदमा - असलीम 1954 की धारा 22

प्ल-थार-एक्ट 1956 की धारा 04 ✓ 91

मुकदमा नंबर

05/18

वर्ष

2018

फसल

2 वर्ष

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की जाली
26/7/18	<p>पटवारी हल्का <u>उमरगाँव</u> की रिपोर्ट पर पत्रावली मुस्तवी की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/रक <u>उमरगाँव</u> के खरारा नं./मु.नं. <u>79</u></p>	
	<p>तादायी <u>100 रु</u> बीघा <u>2075</u> राजकीय भूमि पर सम्बत <u>2075</u> में नाजायज कब्जा कर काश्त कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं भू-अगिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>7-8-18</u> को पेश हो।</p>	<p>ग.ग.ग.ग.  <b>'ख' सीलदार के फेज</b> <b>न. 129 के त. स.</b> <b>05 पर गंगू काफ</b> <b>की जमी</b></p>
7/8/18	<p>पत्रावली पेश हुई। खरारा नं. उमरगाँव अप्रार्थी खरारा नं. उमरगाँव एताने या गयी एताने किसम रिपोर्ट की ग्राहक पत्रावली आईन्दा दिनांक 20/8/18 को पेश हो।</p>	<p><b>TPA</b> <b>7/8/18</b></p>
30/8/18	<p>पत्रावली पेश हुई। खरारा नं. उमरगाँव अप्रार्थी रिपोर्ट प्रेष हुई। रिपोर्ट ग्राहक अप्रार्थी के द्वारा श्री निरंजन कदमलाल डूंगर खेत कारीगा द्वारा गयी एताना ग. या ही उक्त रिपोर्ट को शासित।</p>	<p><b>P. T. 0.</b></p>



# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: 05/2018

दिनांक: 30/8/2018.

## निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का <sup>श्री श्री राम</sup> रिपोर्ट (पी-4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2075 फसल खरीफ में गैर सायल <sup>श्री श्री राम</sup>

हस्ता <sup>श्री श्री राम</sup> पुत्र <sup>श्री श्री राम</sup> जाति <sup>श्री श्री राम</sup> साकिन <sup>श्री श्री राम</sup>  
ने ग्राम <sup>श्री श्री राम</sup> के खसरा नं० <sup>79</sup> रकबा <sup>1.00</sup>  
हेक्टेयर जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त/बाड़ा/कच्चा/पक्का  
मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बंधित गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैरसायल अनुपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही करते हुए सम्बंधित गैर सायल <sup>श्री श्री राम</sup> पुत्र श्री <sup>श्री श्री राम</sup> जाति <sup>श्री श्री राम</sup> साकिन <sup>श्री श्री राम</sup> ग्राम <sup>श्री श्री राम</sup> खसरा नं० <sup>79</sup> रकबा <sup>1.00</sup> हेक्टेयर के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा मौके से काश्त फसल को नष्ट करने व अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली व काश्त फसल को नष्ट करने तथा भुराजस्व का 50 गुणा <sup>50/-</sup> रुपये शास्ति से दंडित किया जाता है। इस बाबत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तलवान वसुली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टीआरए शाखा को लिखा जाये।

निर्णय आज दिनांक 30/8/2018 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

3  
तहसीलदार(राजस्व)  
लूनकरनसर